निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष 1935 (शo)

(सं0 पटना 73) पटना, बुधवार, 8 जनवरी 2014

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

8 जनवरी 2014

सं0 एल0जी0-1-27/2013/लेज: 05—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल **दिनांक 27 दिसम्बर, 2013** को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2013
(बिहार अधिनियम 2, 2014)

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–** (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा–2 (11) का संशोधन।–** उक्त अधिनियम की धारा–2 की उप–धारा (11) के बाद एक नयी उप–धारा (11क) जोड़ी जायेगी, यथा –

''(11क) सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र से अभिप्रेत है किसी परिसर में दिवालों के अन्दर, दिवाल की मोटाई एवं प्रत्येक तल पर छज्जा सहित, कारपेट क्षेत्र का व्यवहार में लाया जाने वाला वास्तविक क्षेत्र।"

3. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 2 (31) का संशोधन।–**उक्त अधिनियम की धारा 2 (31) में जहाँ कहीं शब्द ''स्थानीय निकाय के निदेशक'' आया है को ''निदेशक, नगरपालिका प्रशासन'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–2 (101) का संशोधन।–** उक्त अधिनियम की उप–धारा (101) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा –

''कार्यानुपालन प्रतिवेदन'' से अभिप्रेत है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा धारा–94 के अन्तर्गत किये गये कार्यों के सम्बन्ध में समर्पित प्रतिवेदन।

5. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–2 (103) का संशोधन।–** उक्त अधिनियम की धारा–2 (103) में शब्द ''गलियों में प्रकाश व्यवस्था'' के बाद शब्द ''आश्रय'' जोड़ा जायेगा।

6. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–19 का संशोधन।–** उक्त अधिनियम की धारा–19 में शब्द ''यथा विहित'' के पूर्व शब्द ''राज्य सरकार द्वारा समय समय पर ''जोड़े जायेंगे।

7. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–25 का संशोधन।–** उक्त अधिनियम की धारा–25 की उप–धारा (2) एवं (3) में आये शब्द ''प्रमंडलीय आयुक्त'' को शब्द ''सरकार'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

8. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–36 का संशोधन।–** उक्त अधिनियम की धारा–36 की उप–धारा (4) के बाद एक नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, यथा –

''धारा 36 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, वांछित योग्यता, सेवाशर्त्त, आचरण, अनुशासन एवं नियंत्रण सहित वही होंगे जो नियमावली के द्वारा निर्धारित किया जाय।

9. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–40 का संशोधन।–** उक्त अधिनियम की धारा–40 के बाद एक नयी धारा 40अ जोड़ी जायेगी।

''यथा–

"40अ राज्य सरकार नियमावली बनाकर नगरपालिका सेवा एवं नगरपालिका कार्मिक प्रबंधन के विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवाशर्त्त, पदस्थापन, स्थानांतरण, प्रोन्नत्ति, अनुशासनिक कार्यवाही एवं अन्य सम्बन्धित विषयों से सम्बन्धित प्रावधान कर सकेगी।"

10. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–45 का संशोधन । –** उक्त अधिनियम की धारा–45 में:–

(i) उप–धारा (1)(क) (iv) की उप–धारा में शब्द ''विकास एवं सामाजिक न्याय'' के पहले शब्द ''आर्थिक'' जोड़ा जायेगा।

(ii) उप–धारा (1)(क) की कंडिका (X) के बाद एक नई कंडिका (XI) जोड़ी जायेगी, यथा –

"(xi) शहरी गरीबी के लिए आधारभूत सेवा तथा शहरी गरीबी उन्मूलन का प्रावधान।"

11. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–46 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–46 में शब्द ''अग्नि शमन एवं अग्नि सुरक्षा के प्रबंध'' के बाद शब्द ''शहरी गरीबी का आर्थिक सशक्तिकरण, जीविका के अवसर का निर्माण'' जोड़े जायेंगे।

12. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–82 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–82 में उप–धारा–(7) के बाद निम्नलिखित उप–धाराएँ जोड़ी जायेगी:–

"(8) आय–व्ययक प्राक्कलन में न्यूनतम 25 प्रतिशत वित्तीय संसाधनों को शहरी गरीबों के लिये आधारभूत सेवाओं के प्रावधान के लिये कर्णाकित किया जायेगा।

(9) बजट प्राक्कलन नगद के आधार पर तैयार किया जायेगा, जो घाटे का नहीं होगा। अर्थात आद्य–शेष जो सभी प्राप्तियों जोड़ने के पश्चात् एवं सभी व्यय घटाने के बाद अन्तशेष शून्य से कम नहीं हो।" तथा :–

विद्यमान उप–धारा (8) को उप–धारा (10) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा।

13. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–88 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–88 में शब्द ''निधि बहाव विवरण'' को शब्द ''रोकड़ बहाव विवरण'' से तथा शब्द ''प्राप्ति एवं व्यय लेखा'' को शब्द ''प्राप्ति एवं भुगतान'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

14. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–91 का संशोधन। –** (i) उक्त अधिनियम की धारा–91 की उप–धारा (2) में शब्द ''स्थानी लेखा परीक्षक'' को अक्षर '' नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०) '' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उप–धारा (2) के बाद उप–धारा (2क) जोड़ी जायेगी, यथा –

नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक नगरपालिकाओं के लेखा के सम्यक् संधारण के लिए तकनीकी मार्ग निर्देश एंव पर्यवेक्षण उपलब्ध करायेगा।

(iii) उप–धारा (3) के शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' को शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iv) उप–धारा (6) के शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' को शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

15. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–92 का संशोधन। –** उप–धारा (1) के शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' को शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

16. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–93 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–93 के उप–धारा (1) के शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' को शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

17. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–94 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–94 के शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' को शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

18. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–98 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम में

(i) धारा–98 (6) (ग ग) में शब्द एवं अंक "धारा 90" को शब्द एवं अंक "धारा–92" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) धारा–98 (6) (घ) में शब्द एवं अंक "धारा–94" को शब्द एवं अंक "धारा–96" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

19. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–104 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम में –

(1) धारा–104 की कंडिका (क) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

''सशक्त स्थायी समिति नगरपालिका की किसी अचल सम्पत्ति की बिक्री, हस्तांतरण या अन्य तरीके से यथा विहित नियमावली के अनुसार निष्पादित कर सकेगी।''

(2) उक्त अधिनियम की धारा–104 में एक नयी कंडिका (क क) जोड़ी जायेगी :–

(क क) सशक्त स्थायी समिति नियमावली द्वारा यथा निर्धारित रीति से नगरपालिका की किसी अचल सम्पति को भाड़े पर देना, भाड़ा, किराये, आवंटन या लीज पर दे सकेगी या बन्दोबस्त कर सकेगी।

20. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–105 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम में धारा–105 की उप–धारा (1) में प्रारंभिक शब्द ''सशक्त स्थायी समिति' को ''मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

21. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–127(6) का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–127 (6) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

होल्डिंग की वार्षिक किराये मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ फर्श क्षेत्रफल की माप निम्नलिखित रूप में संगणित की जायेगीः–

(i) वैयक्तिक आवासीय सम्पति–संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत

(ii) वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पत्ति– संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत

(iii) वैयक्तिक आवासीय बहुमंजिला भवन/अपार्टमेंट–संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत

(iv) वैयक्तिक गैर आवासीय बहुमंजिला भवन/अपार्टमेंट–संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत।"

22. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–127(7) (iii) का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–127 की उप–धारा (7) (iii) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

"संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का विभिन्न वर्गों के होल्डिंग के लिये प्रति वर्ग फुट किराया प्रति 5 वर्ष 15 प्रतिशत से अन्यून बढ़ायी जायेगी। नगर निकाय किसी भी समय किराया मूल्य या कर की दरों में इन पॉच वर्षों के अन्दर किसी समय सरकार के अनुमोदन से संशोधन कर सकेगी।"

23. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–127(8) का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–127 की उप–धारा (8) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

''(8) नगरपालिका के अन्तर्गत भूमि एवं भवनों पर वार्षिक किराया मूल्य का न्यूनतम 9 प्रतिशत और अधिकतम 15 प्रतिशत धारा–127 की उप–धारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत सम्पत्ति कर लगाया जायेगा;

परन्तु कोई नगर निकाय धारा–127 के अन्तर्गत निर्धारित कर दर को कम दर पर उद्गृहित नहीं कर सकेगी;

परन्तु यह कि नगरपालिका वर्तमान में लागू कर को धारा–127 की उप–धारा (8) के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना घटा नहीं सकेगी;

24. **बिहार अधिनियम, 127(8) (V) का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–127 की उप–धारा (8) (V) के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जायेगा;

''परन्तु" यह कि भूस्वामी द्वारा जमीन अधिग्रहण के दो वर्षों के अन्दर यह कर नहीं लगाया जायेगा।

25. **बिहार अधिनियम, 128 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–128 के द्वितीय परन्तुक को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा;

''परन्तु यह कि सरकार नगरपालिकाओं को उपभोक्ता प्रभार लगाने का निदेश दे सके यदि यह नहीं लगाया गया है अथवा नगरपालिका द्वारा इसे आस्थगित कर दिया गया।"

26. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–158 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–158 के बाद एक नयी धारा–158 'अ' जोड़ी जायगी।

यथा– ''158 'अ' यदि किसी सम्पत्ति में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित धारणीय वर्षा जल संग्रहण तकनीक लगाया गया है तो कुल सम्पति कर पर पांच प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।

27. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–228 (2) का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–228 (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रस्थापित किया जायेगा, यथा :–

"(2) ऐसा तत्काल जुर्माना स्वच्छता निरीक्षक से अन्यून कोटि के पदाधिकारी द्वारा/अथवा नगरपालिका द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा वसूल किया जायेगा।"

28. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–286 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–286 को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा –

''286– गंदी बस्तियों को अधिसूचित अथवा बातिल किया जाना।– नगरपालिका किसी क्षेत्र को, जिसमें निवासी हों और जो धारा–2 (109) में गन्दी बस्ती की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो, को गन्दी बस्ती अधिसूचित करेगी, इसे बातिल करेगी इसकी बाहरी परिसीमाओं को परिभाषित करेगी, इन परिसीमाओं को सरकार द्वारा नियमावली के द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर समय–समय पर परिवर्तित कर सकेगी;

परन्तु यह कि किसी गन्दी बस्ती की अधिसूचना को तबतक बातिल नहीं किया जा सकेगा जब तक वहाँ आधारभूत आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो तथा बातिल करने हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया गया हो;

परन्तु यह और कि किसी क्षेत्र को गन्दी बस्ती अधिसूचित होने पर, न होने पर भी धारा–2 (109) को यथा परिभाषित गन्दी बस्तियों में बुनियादी नगरपालिका सेवाएँ उपलब्ध करायी जायेगी।

29. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–287 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–287 में (i) शीर्षक को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"गन्दी बस्ती उन्नयन एवं शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाओं का प्रावधान।"

(ii) धारा–287 में ''ऐसी सुधार योजनाएं तैयार कर सकेगी'' के पूर्व शब्दों ''गन्दी बस्ती के निवासियों के परामर्श से'' जोड़े जायेंगेः–

(iii) धारा–287 में ''गन्दी बस्तियों के सामान्य सुधार शब्दो के बाद निम्नांकित शब्द जोड़े जायेंगे ''गन्दी बस्तियों के निवासियों द्वारा धारित भूमि के धारण की स्थिति से अप्रभावित।''

(iv) जहाँ कहीं आये शब्द "कार्यक्रम" को शब्द "परियोजना" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

30. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–296 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–296 में –

(i) उप–धारा(1) के स्पष्टीकरण को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''इस धारा में ''अनन्य परिसर संख्या'' से अभिप्रेत है अक्षरों एवं अंको से बनी संख्या जो किसी परिसर अथवा उसके भाग को नगरपालिका द्वारा निम्नांकित रीति से नियत किया जाय :–

(क) प्रथम दो अक्षर उस क्षेत्र को इंगित करेगा जिसमें नगर विभाजित हो

(ख) अगला तीन अंक उस क्षेत्र के प्रत्येक प्रक्षेत्र को इंगित करता हो

(ग) अगला चार अंक उस परिसर का संख्या होगा,

(घ) अगला एक अंक यह इंगित करेगा कि वह परिसर विभाजित है अथवा एक से अधिक परिसरों को एकीकृत किया गया है,

(ङ) एक से अधिक परिसर के एकीकरण अथवा बँटवारा के कारण उसके विभाजनकी स्थिति के उस परिसर को एक नयी संख्या नियत की जायेगी और परिसर को नियत नयी संख्या को पंजी में दर्ज किया जायेगा और अभिलेख के लिये रखा जायेगा।

(ii) धारा–296 की उप–धारा (2) के शब्द ''परिसर के सम्बन्ध में'' के पूर्व के शब्द ''किसी वार्ड में'' को विलोपित किया जायेगा।

(iii) धारा–296 की उप–धारा (3) के शब्द ''परिसर के सम्बन्ध में'' के पूर्व के शब्द ''किसी वार्ड में'' को विलोपित किया जायेगा।

(iv) उप–धारा (3) के बाद नई उप–धारा (4) जोड़ी जायेगी।

"(4) अनन्य परिसर संख्या नियत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत योजना का प्रावधान सरकार द्वारा निर्मित होने वाले नियमावली में किया जायेगा। आवश्यक होने पर सरकार उप धारा–(1) में उल्लिखित क्रमिक योजना में परिवर्तन कर सकेगी।"

31. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–314 का संशोधन। – (**1) उक्त अधिनियम की धारा–314 में शब्द ''भवन की योजना स्वीकृत होने पर ही'' के पूर्व के शब्द ''वास्तुकार अधिनियम, 1972 के अधीन निबंधित किसी प्रमाणिक वास्तुकार द्वारा'' को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमावली या उप–विधि द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार''

(2) धारा–314 का द्वितीय परन्तुक को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा,

परन्तु यह और कि यदि भवन की योजना भवन उप–विधि के उल्लंघन या विचलन की स्थिति में इस अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त, निबंधित वास्तुविद, निर्माता और

अनुमोदन प्राधिकार अभियोजित किये जाने का उत्तरदायी होगा और पचास हजार रूपये का दंड अथवा कारावास जो एक वर्ष की अवधि तक विस्तारित की जा सकेगी अथवा दोनों का भागी होगा।

32. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–315 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–315 में शब्द ''निबंधित वास्तुविद'' को ''सक्षम प्राधिकार'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

33. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–316 का संशोधन। –** (1) उक्त अधिनियम की धारा–316 के उपशीर्षक ''निबंधित वास्तुविद द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण योजना का ब्यौरा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा'' को ''निबंधित वास्तुविद द्वारा तैयार भवन निर्माण योजना सक्षम प्राधिकार को प्रस्तुत किया जायेगा'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) धारा–316 की उप–धारा (1) के शब्द ''योजना को स्वीकृत करता है'' को शब्द ''योजना को तैयार करता है'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

(3) धारा–316 की उप–धारा (2) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

''निबंधित वास्तुविद द्वारा तैयार भवन निर्माण योजना प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकार, जांच पड़ताल कर सत्यापित करेगा और स्वयं को संतुष्ट करेगा कि भवन निर्माण योजना भवन निर्माण उपविधि, अन्य और उस अधिनियम या नियमावली या उपविधि के अन्तर्गत वांछित मानकों के अनुरूप है और तब अनुमोदित करेगा।''

34. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–317 का संशोधन ।–** उक्त अधिनियम की धारा–317 को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"317 जाँच पड़ताल अथवा सत्यापन के पश्चात् यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या सक्षम प्राधिकार के द्वारा यह पाया जाता है कि भवन का स्थायी प्रकृति के निर्माण का निर्माण योजना प्रामाणिक वास्तुकार द्वारा भवन उपविधि और इस अधिनियम के अन्य मानकों का उल्लंघन, अतिक्रमण या विचलन कर तैयार एवं अनुशंसित किया गया है तो वह अविलम्ब निर्माण कार्य को रोकेगा और स्वामी, धारक या ऐसे निर्माण के लिये उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्व कार्रवाई करेगा और ऐसे निबंधित वास्तुविद के विरूद्ध भी कार्रवाई करेगा जिसने ऐसी भवन निर्माण योजना को तैयार किया एवं अनुशंसित किया;

परन्तु यह कि यदि यह पाया जाता है कि भवन या स्थायी प्रकृति के निर्माण का पूरा निर्माण अथवा निर्माण का प्रारंभ विधिवत, अनुमोदित भवन निर्माण योजना के आधार पर किया गया है और विचलन अनुमोदित योजना के अनुमत विचलन स्तर के अन्तर्गत है, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या सक्षम प्राधिकार उसे गिराने का आदेश नहीं दे सकेगा;

परन्तु यह और कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या सक्षम प्राधिकार यथा स्थिति ऐसा दण्ड या जुर्माना की वसूली की कार्रवाई करेगा जिसका प्रावधान अधिनियम, नियमावली, विनियम अथवा भवन उपविधि के अन्तर्गत हो;

परन्तु यह और भी कि अनुमत स्तर का विचलन, भवन निर्माण की योजना तैयार करने तथा उसे अनुमोदित करने वाले निबंधित वास्तुकार को अभियोजित किये जाने का आधार नहीं होगा।

35. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–318 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–318 में–

(i) उप–धारा (1) में शब्द ''स्वीकृत'' को शब्द''तैयार और अनुशंसित'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उप–धारा (2) में शब्द ''समर्पित स्वीकृत'' को शब्द ''तैयार एवं अनुशंसित'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

36. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–322 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–322 के द्वितीय परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः–

''परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के छह महीने बाद केवल वैसे वास्तुविद भवन निर्माण योजना तैयार करने के लिए अधिकृत होंगे जिनका नगरपालिका के वास्तुविदों की पंजी में नाम निबंधित होगा। ''

37. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–329 का संशोधन। –** उक्त अधिनियम की धारा–329 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"329 भवन निर्माण योजना की नगरपालिका द्वारा स्वीकृति से उत्पन्न अपील की सुनवाई एवं निर्णय के लिए यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे तो एक या अधिक नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण (बाद में उस धारा में न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित) की नियुक्ति कर सकेगी तथा ऐसी प्रक्रिया एवं ऐसी अपीलों की सुनवाई के लिए वैसा फीस वसूल कर सकेगी जैसा सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

उज्ज्वल कुमार दुबे,

सरकार के संयुक्त सचिव।

8 जनवरी 2014

सं0 एल0जी0-1-27/2013/लेज: 06—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2013 को अनुमत **बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2013** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The Bihar Municipal (Amendment) Act, 2013
(Bihar Act 2, 2014)
AN
ACT

to amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007)

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement:-** (1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Amendment of Section 2 (11) of the Bihar Act, 2007-** A new sub section (11a) shall be added after sub section (11) of section 2 of the said Act, namely:-

"(11a) Total built-up area means the carpet area that is actual usable area within the walls plus the thickness of walls and the balcony on each floor in a premise".

3. **Amendment of Section 2 (31) of the Bihar Act 11, 2007-** The words "Director of Local Bodies" wherever it occurs in Section 2 (31) shall be substituted by "Director of Municipal Administration"

4. **Amendment of Section 2 (101) of the Bihar Act 11, 2007-** Definition under sub section (101) shall be substituted by the following namely:-

"Action Taken Report" means the Report to be submitted by the Chief Municipal Officer on the action taken by the Municipality under Section 94".

5. **Amendment of Section 2 (103) of the Bihar Act 11, 2007-** In Section 2(103) after the word "streetlight", the word "shelter" shall be added.

6. **Amendment of Section 19 of the Bihar Act 11, 2007-** In Section 19, after the words 'as may be prescribed, words " by Government from time to time" shall be added.

7. **Amendment of Section 25 of the Bihar Act 11, 2007-** In Sub section (2) and (3) of Section 25, wherever the words "Divisional Commissioner" occurs, shall be substituted by the Word "Government"

8. **Amendment of Section-36 of the Bihar Act 11, 2007-** A new proviso under sub-section (4) of section- 36 shall be added namely:

The method of, and the qualifications required for, recruitment, and the terms and conditions of service including conduct, discipline and control of officers and other employees referred to in sub-section (1) of section 36 shall be such as may be prescribed under Rules."

9. **Amendment of Section-40 of the Bihar Act 11, 2007.-** After section- 40 of the said Act, a new Section 40A shall be added namely:-

" 40A The State Government may make provisions by framing Service Rules for different categories of officers and other employees of the Municipality for recruitment, service conditions, posting, transfer, promotion, disciplinary action and other related aspects of municipal service and municipal personnel management."

10. Amendment of Section 45 of the Bihar Act 11, 2007.- In Section 45 the said Act -

(i) in sub section (1)(a)(iv) the word "economic" shall be inserted after the words "preparation of plans for"

(ii) after sub-section (1)(a)(x) following new clause (XI) shall be added namely:

"(xi) Provision of basic services for urban poor and urban poverty alleviation".

11. Amendment of Section 46 of the Bihar Act 11, 2007.- In Section 46 of the said Act after the words "arrangements for fire prevention and fire safety" the words "economic empowerment of urban poor, creation of livelihood opportunities" shall be added:

12. Amendment of Section 82 of the Bihar Act 11, 2007.- In section- 82, after sub section (7) the following new sub-sections shall be added namely:

"(8) The budget estimate shall earmark a minimum of 25% of financial resources towards provision of basic services to urban poor;

(9) The budget estimate shall be prepared on cash basis showing no deficit i.e. opening balances plus all receipts less all expenditures must not result in negative cash balances." and existing sub section (8) shall be re-numbered as sub-section (10)"

13. Amendment of Section 88 of the Bihar Act 11, 2007.- In section 88 of the said Act - The words "a Funds Flow Statement" shall be substituted by the words "a Cash Flow Statement." and the words "Receipt and Expenditure" shall be substituted by the words "Receipt and Payment."

14. Amendment of Section 91 of the Bihar Act 11, 2007.- In section 91 of the said Act - (i) In sub-section-(2) of section 91 of the Act the words "Examiner of Local Accounts" shall be substituted by the words "Comptroller and Auditor General (C & AG)".

(ii) After sub-section (2) - Sub section-(2a) shall be inserted, namely -

"The Comptroller & Auditor General of India shall provide Technical Guidance and Supervision (TGS) over the proper maintenance of accounts and audit thereof of Urban Local Bodies."

(iii) In sub-section-(3) the words "Examiner of Local Accounts" shall be substituted by the words "Comptroller and Auditor General (C & AG)".

(iv) In sub-section-(6) the words "Examiner of Local Accounts" shall be substituted by the words "Comptroller and Auditor General (C & AG)".

15. Amendment of Section 92 of the Bihar Act 11, 2007.- In section 92 of the said Act In subsection-(1) the words "Examiner of Local Accounts" shall be substituted by the words "Comptroller and Auditor General (C & AG)".

16. Amendment of Section 93 of the Bihar Act 11, 2007.- In section 93 of the said Act In subsection-(1) of section- 93 "Examiner of Local Accounts" shall be substituted by the words "Comptroller & Auditor General (C & AG)".

17. Amendment of Section 94 of the Bihar Act 11, 2007.-In section 94 of the said Act In section 94 of the Act the words "Examiner of Local Accounts" shall be substituted by the words "Comptroller & Auditor General (C & AG)".

18. Amendment of Section 98 of the Bihar Act 11, 2007.- In section 98 of the said Act-

(i) in sub section 98(6)(cc) the words and number "section 90" shall be substituted by the words and number “Section 92”

(ii) in sub section 98(6)(d) the words and number "section 94" shall be substituted by the words and number “Section 96”

19. Amendment of Section 104 of the Bihar Act 11, 2007.- In the said Act -

(1) Clause (a) of section 104 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be substituted by the following:

"(a) The Empowered Standing Committee may sell and transfer or otherwise dispose of any immovable property belonging to the Municipality by following the procedure to be prescribed under the Rules.”

(2) A new clause (aa) shall be added to section 104 of the Act namely:

"(aa) The Empowered Standing Committee may let out, rent, hire, lease, allot or go for settlement of any immovable property belonging to the Municipality by following the procedure to be prescribed under the Rules.”

20. Amendment of Section 105 of the Bihar Act 11, 2007.- In the said Act the words ”The Empowered Standing Committee” in the beginning of sub section-(1) of Section 105 shall be substituted by the words ”The Chief Municipal Officer”

21. Amendment of Section 127 (6) of the Bihar Act 11, 2007.-In the said Act in Section 127 (6) shall be substituted by the following provision:

“For the purpose of calculation of Annual Rental Value of holdings, measurement of total built-up area shall be calculated as under:

(i) Individual Residential Property: 70% of total built up area;

(ii) Individual Non-Residential Property: 80% of total built-up area

(iii) Individual Residential Multistory buildings/apartments: 70% of total built- up area

(iv) Individual Non-Residential Multistory buildings/apartments: 80% of total built up area."

22. Amendment of Section 127 (7) (iii) of the Bihar Act 11, 2007.- In the said Act in Section 127(7)(iii) of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be substituted by the following as under”

“The rental value per sq. ft. of the built-up area for different classes of holdings shall be increased by minimum 15% every 5 years. The municipality may also increase the rental value and rates at any time during the five year period with the prior approval of the government”

23. Amendment of Section 127 (8) of the Bihar Act 11, 2007.- In the said Act in Sub-section (8) of Section 127 shall be substituted by the following:-

(8). “Property Tax shall be levied by the Municipality within a minimum of 9 percent and a maximum of 15 percent of the annual rental value of lands and buildings determined under sub-section (7) of Section 127.”

“Provided that no Municipality shall levy the tax at a rate less than the minimum as provided for in Section 127 of this Act.

Provided also that no Municipality shall reduce the rate of tax already in use between the minimum and the maximum provided for under sub-section (8) of section 127, without prior approval of the State Government.”

24. Amendment of Section 127 (8) (v) of the Bihar Act 11, 2007.- In the said Act a "proviso" shall be added in Section 127(8)(v) as follows namely:-

Provided that no such Tax shall be levied within two years from the date of acquisition of land by the owner.

25. Amendment of Section 128 of the Bihar Act, 11, 2007.- In the said Act second "proviso to section 128 shall be substituted by the following-

"Provided that the government may direct the Municipality to levy user charges if not levied or postponed by the Municipality."

26. Amendment of Section 158 of the Bihar Act 11, 2007.-.A new section 158A shall be added after section 158 of the said Act namely:

"158A Any property that has adopted a sustainable technique of rain water harvesting approved by the government may be given relief of five percent of the total Property Tax."

27. Amendment of Section 228 (2) of the Bihar Act 11, 2007.- Section 228 (2) of the said Act shall be substituted by the following namely:-

"(2) Such spot fines may be collected by officers, not below the rank of a sanitary inspector and/or any agency duly authorized by the Municipality."

28. Amendment of Section 286 of the Bihar Act 11, 2007.- Section 286 of the said Act shall be substituted by the following namely:-

"286- Notification or de-annulment of slums- "The Municipality shall declare an area as slum having habitation which meets the definition of slum given in Section 2(109) and shall notify, de-notify, define the external limits of any slum and may, from time to time, alter such limits by taking into account norms that may be prescribed by the government in this regard under Rules".

Provided that no slum shall be de-notified until it is provided basic essential services and prior approval of the Government is obtained to de-notify the same.

Provided also that irrespective of whether a slum is notified or not, basic municipal service shall be provided in all slums as defined Section in 2 (109) of this Act."

29. Amendment of Section 287 of the Bihar Act 11, 2007.- In Section 287 of the said Act

(i) The title of this Section shall to be substituted by the following:

Slum up-gradation and provision of basic services for the urban poor

(ii) In section-287 before the words "prepare such improvement schemes" words "in consultation with the slum dwellers" shall be added.

"in consultation with the slum dwellers"

(iii) In section-287 after the words "general improvement of slums" new words shall be added as under:

"Irrespective of tenure status of the lands occupied by the slum dwellers"

(iv) The word "scheme" wherever appearing shall be substituted by the word "plan".

30. Amendment of Section 296 of the Bihar Act 11, 2007.- In section 296 of the said Act -

(i) Explanation of sub section (1) shall be substituted by the following namely:-

"In this section, the expression, "unique premises number" shall mean a number consisting of alphabets and numbers assigned to the premises or part thereof by the Municipality in the following manner, namely:-

(a) the first two alphabets indicating the zone of the town in which the town shall be divided;

(b) the next three digits indicating each sector in the zone;

(c) the next four digits indicating the premises number;

(d) the next one digit indicating if the property is partitioned or more than one premises is merged together;

(e) in cases of merger of more than one premise or fragmentation of premise due to partition, new number shall be assigned to the premises and the new number so assigned to such premises shall be entered in the register and maintained for record.

(ii) In sub-section (2) of section 296, the words "any ward of" appearing after the words "in respect of premises in" shall be deleted.

(iii) In sub-section (3) of section 296, the words "in any ward" appearing after the words "in respect of premises" shall be deleted..

(iv) New sub-section (4) shall be added to this section after sub section (3):-

(4) Detailed scheme of assigning the Unique Premises Number shall be provided for in the Rules to be framed by the Government. The Government if required may also change the numbering scheme as described in sub-section (1)."

31. Amendment of Section 314 of the Bihar Act 11, 2007.- (1) In Section 314 of the said Act, the words "by a certified Architect registered under Architects Act, 1972" appearing after the words "the building plan is approved" shall be substituted by the following:

"By a competent authority to be designated under Rules and Bye Laws to be framed by the Government".

(2) The second Proviso to Section 314 shall be substituted by the following, -

"Provided further that in case the building plan is in contravention or deviation of the building bye-law, in addition to any other action that may be taken under this Act, the registered architect, the builder and the approving authority shall be liable to be prosecuted and shall be liable to pay fine of Rupees fifty thousand or sentence to imprisonment for a period which may extend to one year or both."

32. Amendment of Section 315 of the Bihar Act 11, 2007.- In section 315, of the said Act, the words "registered Architect" shall be substituted by the words "competent authority."

33. Amendment of Section 316 of the Bihar Act 11, 2007.- (1) In section 316 of the Bihar Municipal Act, 2007, the sub-title of this section "Building plan approved by registered Architect to be submitted to Chief Municipal Officer" shall be substituted by the following:

"Building plan prepared by registered Architect to be submitted to the competent authority."

(2) In sub-section (1) of section 316 of the Bihar municipal Act, 2007, the words "who approves" shall be substituted by the words " who prepares."

(3) Sub-section (2) of section 316 of the Bihar Municipal Act shall be substituted as under:

"On receipt of the building construction plan prepared by a registered Architect, the competent authority may enquire and verify and satisfy himself that the building construction plan conforms to building bye law and other parameters required under this Act or Rules or Bye Law and approve."

34. Amendment of Section 317 of the Bihar Act 11, 2007- In the said Act section 317 shall be substituted by the following:

"317 If Chief Municipal Officer or the competent authority, on such inquiry or verification, finds that the building or structure of permanent nature is in contravention, breach or deviation of building bye-law or other parameters under this Act, he shall immediately stop construction work and proceed to take action against

owner, occupier or any person responsible for construction of such building in contravention, breach or deviation of building bye-law and other parameter and shall also proceed to take action against the registered Architect, who prepared and recommended such building construction plan;

Provided that if however the building or structure of permanent pnature has been constructed or commence to construct after dully approved building construction plan, is found to have deviated from approved construction plan within permitted level deviation, the Chief Municipal Officer or the competent authority shall not order for its demolition;

Provided further Chief Municipal Officer or competent authority shall proceed to realize such fine or penalty as is prescribed under this Act or Rule, Regulation or building bye-laws as the case may be;

Provided further also that deviation within permitted level shall not be a ground to prosecute the registered Architect who prepared and recommended the building construction plan."

35. Amendment of Section 318 of the Bihar Act 11, 2007- In section-318 of the said Act-

(i) Sub-section (1) the word " approved" "shall be substituted by the words "prepared and recommended"

(ii) In sub-section (2) the word "submitted" shall be substituted by the words "prepared and recommended"

36. Amendment of Section 322 of the Bihar Act 11, 2007- Second proviso to section 322 of the said Act shall be substituted by the following, namely:-

"Provided further that six months after commencement of this Act, only such architects shall be entitled to prepare Building Construction Plan whose name is registered in the register of Architects of the Municipality."

37. Amendment of Section 329 of the Bihar Act 11, 2007- (1) Section 329 of the said Act shall be substituted following, namely:-

"329 The State Government may appoint one or more Municipal Building Tribunals (hereinafter referred to in this section as the Tribunal) as may be considered necessary to hear and decide appeals arising out of sanctioning of building plans by the Municipality in accordance with such procedure, and to realize such fees in connection of with such appeals, as may be prescribed by the Government."

By order of the Governor of Bihar,
UJJAWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 73-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in